प्रेस नोट, जनपद गोण्डा।

दिनांक 28.05.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा फर्जी अधिकारी/पत्रकार बन भांग की दुकानों से अवैध वसूली/छिनैती करने वाले गैंग के 03 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद फर्जी परिचय पत्र, 03 मोबाइल फोन , लूट के 9500/- रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-248/2024, धारा 419, 420, 387, 392, 504, 506 भादवि व थाना को0देहात पर पंजीकृत मु0अ0स0 246/2024 धारा 419, 420, 387, 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01. विशाल गुप्ता, 02. अमन शुक्ला व 03. मनीष मौर्या को किशुनदापुर से पहले टिकरी रोड नवाबगंज से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 9,500/-रूपये नगद, 03 अदद कूटरचित परिचय पत्र (ड्रग इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट), 03 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री कौशल कुमार पुत्र रामनोहर निवासी पटेलनगर थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा जो लाइसेंसी भांग की दुकान कस्बा मनकापुर (कटी तिराहे के आगे उतरौला रोड पर) में सेल्समैन है के द्वारा थाना को0 मनकापुर को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 23.05.2024 को दोपहर 03:30 बजे 03 व्यक्ति आकर नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताते हुए दुकान चेक करने लगे उनका परिचय पूछा गया तो नाराज होकर बोलने लगे तुम्हारा चालान कर दूंगा आदि धमकी देते हुए उसे मारने पीटने लगे तथा काउण्टर में रखे 9,000/- रूपये जबरदस्ती छीन लिये जब उसने विरोध किया तो गाली गुप्ता देते हुए बोले की प्रतिमाह 10,000/- रूपये देते रहना तभी तुम्हारी दुकान चलेगी। तहरीर के आधार पर थाना को0मनकापुर पर मु0अ0स0-248/2024, धारा 419, 420, 387, 392, 504, 506 भादवि बनाम विशाल गुप्ता व 02 अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार थाना को0देहात क्षेत्र के अन्तर्गत खोरंहसा स्थित लाइसेंसी भांग की दुकान से नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताते हुए दुकान से 5,000/- रूपये जबरदस्ती छीन लिये। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात में मु0अ0स0 246/2024 धारा 419, 420, 387, 392 भादवि बनाम विशाल गुप्ता व 02 नफर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था उक्त दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा तत्काल घटनाओं के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में सभी टीमों द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज, अन्य तकनीकी व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 शातिर बदमाशों 01. विशाल गुप्ता, 02. अमन शुक्ला व 03. मनीष मौर्या को किशुनदासपुर से पहले टिकरी रोड नवाबगंज से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 9,500/-रूपये नगद, 03 अदद कूटरचित परिचय पत्र (ड्रग इंस्पेक्टर , नारकोटिक्स डिपार्टमेंट), 03 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए फर्जी पत्रकार, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी बनकर व अन्य तरीके अपनाकर व्यापारियों/दुकानदारों को डरा

धमका कर धन उगाही व छिनैती आदि की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.05.2024 को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के खोरहंसा में लाइसेंसी भांग की दुकान पर दोपहर में नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर डरा धमका कर 5000/- रूपये छीन लिया था, तथा दिनांक 23.05.2024 को कस्बा मनकापुर में कटी तिराहे के आगे उतरौला रोड पर स्थित सरकारी भांग की दुकान पर दोपहर में ही नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर दुकान सीज करने की धमकी देते हुए 9,000/- रूपये छीन लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विशाल गुप्ता पुत्र नत्थु गुप्ता निवासी मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. अमन शुक्ला पुत्र संतोष कुमार शुक्ला निवासी नौबस्ता वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मनीष मौर्या पुत्र श्री कृष्ण कुमार मौर्या निवासी वेनीपुर बहुता थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0-248/2024, धारा 419, 420, 387, 392, 504, 506 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0-246/2024, धारा 419, 420, 387, 392 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. लूट की 9,500/- नगद,
02. 03 अदद कूटरचित पहचान पत्र (ड्रग इन्सपेक्टर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट)
03. 03 अदद मोबाइल फोन,
04. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाची UP43AL2914 बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. हे0का0 रणवीर गौतम
03. हे0का0 दीपेन्द्र प्रताप सिंह
04. का0 रामकिशुन प्रजापति
05. का0 उमेश यादव

आपराधिक इतिहास विशाल गुप्ता पुत्र नत्थु गुप्ता

01. मु0अ0स0- 20/19, धारा 457, 380, 411 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 83/22 धारा 504, 506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0- 447/23 धारा 504, 506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0- 35/24 धारा 386, 507, 120-बी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.05.2024, थाना मोतीगंज
जनपद गोण्डा।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 311/2023, धारा 498ए, 323, 504, 506, 316, 354, 376 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम विवाह अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0सब्बीर पुत्र लाल मोहम्मद निवासी डडवा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना मोतीगंज की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मोतीगंज को सूचना दी कि विपक्षीगण द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करते हुए क्रेटा गाड़ी व गोण्डा में जमीन की मांग करते है तथा आये दिन दुराचार करते रहते है। पीडिता की तहरीर पर थाना मोतीगंज में मु0अ0सं0- 311/2023, धारा 498ए, 323, 504, 506, 316, 354, 376 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम विवाह अधि0 बनाम शब्बीर आदि 05 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 28.05.2024 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0सब्बीर आजाद पुत्र लाल मोहम्मद निवासी डडवा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0सब्बीर आजाद पुत्र स्व0लाल मोहम्मद निवासी डडवा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 - 311/2023 धारा 498ए, 323, 504, 506, 316, 354, 376 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम विवाह अधि0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 रामभवन पासवान
02. उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह
03. का0 अनिल कुमार सिंह
04. म0का0 हंसा यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।